

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1542

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

1542. श्री बस्तीपति नागराजूः  
श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) द्वारा किए गए निर्यात, इसमें निवेश और इसके द्वारा सृजित रोजगार का वर्ष वार और स्थान-वार व्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान में कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों की सूची क्या है और विगत पांच वर्षों में बंद या समाप्त हो चुकी इकाइयों की सूची क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने अमेरिकी प्रशुल्क के दबाव से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को सहायता देने के लिए कोई उपाय किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) "रिवर्स जॉब वर्क" जैसी विचाराधीन नीति का व्यौरा क्या है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयां घरेलू बाजार में अपनी सेवाएं दे सकेंगी?

**उत्तर**  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) द्वारा निर्यात, निवेश और सृजित रोजगार का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार व्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
- (ख): दिनांक 01.12.2025 तक परिचालित इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों में बंद इकाइयों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से होने वाले निर्यात सहित भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन सहभागिता, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है।

उपर्युक्त कुछ उपायों का व्यौरा निम्नवत है:

## 1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित वर्ष 2025-26 से वित वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई विखंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती जरूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर कर सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्शीक गारंटी, ई-कॉर्मस निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि संबंधी सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वितीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और विखंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात गहनता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधा

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों की सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

**2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना** को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्शिक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्शिक-मुक्त ऋण पहुंच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

**3. व्यापार राहत उपाय:-**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

**4.मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:-** सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ संपन्न एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरु, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।

(ड.) बदलती वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति प्रदान करना और नियामक संबंधी समायोजन जैसी नीतिगत पहलों सहित ऐसे उपाय सतत प्रक्रिया हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के प्रशासन में जब कभी आवश्यकता होती है, तो इन्हें लागू किया जाता है।

दिनांक 9 दिसंबर 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-।

पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात का क्षेत्रवार विवरण						
(करोड़ रूपये में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25
1	सौएसईजेड, कोचीन	151389	189284	240274	254726	277639
2	एफएसईजेड, फाल्टा	31725	48536	50658	64475	68371
3	कासेज़, कांडला	137229	239190	335836	310283	332892
4	एमइपीजेड एसईजेड, चेन्नई	116844	136329	172580	177930	203304
5	एनएसईजेड, नोएडा	70740	80804	96649	113978	128266
6	सौप्ज़ एसईजेड, मुंबई	138789	160052	186787	210756	224251
7	वीएसईजेड, विशाखापत्नम	112808	136553	180794	223071	228948
कुल		759524	990747	1263578	1355220	1463669

नोट: संचयी आधार पर गणना

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड में रोजगार का क्षेत्रवार विवरण						
(करोड़ रूपये में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	सौएसईजेड	121523	123102	124634	125179	126796
2	एफएसईजेड	26385	27410	27410	41031	44026
3	कासेज़	208067	219565	223398	209204	265120
4	एमइपीजेड सेज	66157	64903	54908	77439	72041

5	एनएसइजेड	47368	49949	54134	61430	62942
6	सौप्ज सेज	72532	75571	79718	88520	90301
7	वौएसइजेड	75467	89205	95983	104538	120964
	कुल	617499	649705	660184	707342	782192

नोट: संचयी आधार पर गणना

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसइजेड में रोजगार का क्षेत्रवार विवरण						
(व्यक्तियों की संख्या)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25
1	सौएसइजेड	454184	481220	487716	513686	513821
2	एफएसइजेड	81638	94245	87093	99783	104503
3	कासेज़	96689	105922	112899	126658	174545
4	एमइपीजेड सेज	479674	523807	591517	728493	607812
5	एनएसइजेड	338337	385240	447129	471560	526539
6	सौप्ज सेज	474690	560052	589971	635373	643898
7	वौएसइजेड	432924	545694	579287	618551	606775
	कुल	2358136	2696180	2895612	3194104	3177893

नोट: संचयी आधार पर गणना

दिनांक 9 दिसंबर 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-॥

दिनांक 01.12.2025 तक क्षेत्रवार कार्यशील इकाइयों की संख्या

क्षेत्र का नाम	इकाइयों की संख्या
कोचीन सेज (सौएसइजेड)	1227
फाल्टा सेज (एफएसइजेड)	98
काडला सेज (कासेज़)	1201
मद्रास निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र सेज (एमइपीजेड एसइजेड)	753
नोएडा सेज (एनएसइजेड)	751
साताकूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र सेज (सौप्ज एसइजेड)	704
विशाखापत्तनम सेज (वौएसइजेड)	547
<b>कुल</b>	<b>5281</b>

**पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्रवार और वर्षवार बंद इकाइयों की संख्या**

वित्तीय वर्ष	सीएसईजेड	एफएसईजेड	कासेज़	एमईपीजेड	एनएसईजेड	सीप्ज़	वीएसईजेड	कुल
2020-21	13	2	16	7	10	23	25	<b>96</b>
2021-22	30	4	13	7	17	22	20	<b>113</b>
2022-23	11	4	16	12	4	13	17	<b>77</b>
2023-24	22	5	12	15	5	11	10	<b>80</b>
2024-25	20	2	12	19	2	12	33	<b>100</b>
<b>कुल</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>466</b>

\* \* \* \*

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1542

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

1542. श्री बस्तीपति नागराजूः  
श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) द्वारा किए गए निर्यात, इसमें निवेश और इसके द्वारा सृजित रोजगार का वर्ष वार और स्थान-वार व्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान में कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों की सूची क्या है और विगत पांच वर्षों में बंद या समाप्त हो चुकी इकाइयों की सूची क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने अमेरिकी प्रशुल्क के दबाव से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को सहायता देने के लिए कोई उपाय किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) "रिवर्स जॉब वर्क" जैसी विचाराधीन नीति का व्यौरा क्या है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयां घरेलू बाजार में अपनी सेवाएं दे सकेंगी?

**उत्तर**  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) द्वारा निर्यात, निवेश और सृजित रोजगार का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार व्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
- (ख): दिनांक 01.12.2025 तक परिचालित इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों में बंद इकाइयों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से होने वाले निर्यात सहित भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन सहभागिता, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है।

उपर्युक्त कुछ उपायों का व्यौरा निम्नवत है:

## 1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित वर्ष 2025-26 से वित वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई विखंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती जरूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर कर सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्शीक गारंटी, ई-कॉर्मस निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि संबंधी सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वितीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और विखंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात गहनता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधा

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों की सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

**2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना** को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्शिक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्शिक-मुक्त ऋण पहुंच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

**3. व्यापार राहत उपाय:-**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

**4.मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:-** सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ संपन्न एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।

(ड.) बदलती वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति प्रदान करना और नियामक संबंधी समायोजन जैसी नीतिगत पहलों सहित ऐसे उपाय सतत प्रक्रिया हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के प्रशासन में जब कभी आवश्यकता होती है, तो इन्हें लागू किया जाता है।

दिनांक 9 दिसंबर 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-।

पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात का क्षेत्रवार विवरण						
(करोड़ रूपये में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25
1	सौएसईजेड, कोचीन	151389	189284	240274	254726	277639
2	एफएसईजेड, फाल्टा	31725	48536	50658	64475	68371
3	कासेज़, कांडला	137229	239190	335836	310283	332892
4	एमइपीजेड एसईजेड, चेन्नई	116844	136329	172580	177930	203304
5	एनएसईजेड, नोएडा	70740	80804	96649	113978	128266
6	सौप्ज़ एसईजेड, मुंबई	138789	160052	186787	210756	224251
7	वीएसईजेड, विशाखापत्नम	112808	136553	180794	223071	228948
कुल		759524	990747	1263578	1355220	1463669

नोट: संचयी आधार पर गणना

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड में रोजगार का क्षेत्रवार विवरण						
(करोड़ रूपये में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	सौएसईजेड	121523	123102	124634	125179	126796
2	एफएसईजेड	26385	27410	27410	41031	44026
3	कासेज़	208067	219565	223398	209204	265120
4	एमइपीजेड सेज	66157	64903	54908	77439	72041

5	एनएसइजेड	47368	49949	54134	61430	62942
6	सौप्ज सेज	72532	75571	79718	88520	90301
7	वौएसइजेड	75467	89205	95983	104538	120964
	कुल	617499	649705	660184	707342	782192

नोट: संचयी आधार पर गणना

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसइजेड में रोजगार का क्षेत्रवार विवरण						
(व्यक्तियों की संख्या)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25
1	सौएसइजेड	454184	481220	487716	513686	513821
2	एफएसइजेड	81638	94245	87093	99783	104503
3	कासेज़	96689	105922	112899	126658	174545
4	एमइपीजेड सेज	479674	523807	591517	728493	607812
5	एनएसइजेड	338337	385240	447129	471560	526539
6	सौप्ज सेज	474690	560052	589971	635373	643898
7	वौएसइजेड	432924	545694	579287	618551	606775
	कुल	2358136	2696180	2895612	3194104	3177893

नोट: संचयी आधार पर गणना

दिनांक 9 दिसंबर 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-॥

दिनांक 01.12.2025 तक क्षेत्रवार कार्यशील इकाइयों की संख्या

क्षेत्र का नाम	इकाइयों की संख्या
कोचीन सेज (सौएसइजेड)	1227
फाल्टा सेज (एफएसइजेड)	98
काडला सेज (कासेज़)	1201
मद्रास निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र सेज (एमइपीजेड एसइजेड)	753
नोएडा सेज (एनएसइजेड)	751
साताकूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र सेज (सौप्ज एसइजेड)	704
विशाखापत्तनम सेज (वौएसइजेड)	547
<b>कुल</b>	<b>5281</b>

पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्रवार और वर्षवार बंद इकाइयों की संख्या

वित्तीय वर्ष	सीएसईजेड	एफएसईजेड	कासेज़	एमईपीजेड	एनएसईजेड	सीप्ज़	वीएसईजेड	कुल
2020-21	13	2	16	7	10	23	25	<b>96</b>
2021-22	30	4	13	7	17	22	20	<b>113</b>
2022-23	11	4	16	12	4	13	17	<b>77</b>
2023-24	22	5	12	15	5	11	10	<b>80</b>
2024-25	20	2	12	19	2	12	33	<b>100</b>
<b>कुल</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>466</b>

\*\*\*\*\*